न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण सं. 22 / 2018 GCMS NO. 2018 / 00027 (मूल वाद संख्या : 200 / 2008)
दायरा तिथि : 10.06.2008
प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.03.2018 फाईनल डिक्री दिनांक 06.09.2021

वादीगण :–
1. झुमीदेवी पुत्री नेनजी राव
2. रमेश कुमार गोद पुत्र नेनजी राव
निवासीगण नाना तहसील बाली जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. जीवराज पुत्र सतीदानजी (फौत) के कायम मुकाम वारिशानः
(क) हसमुख पुत्र जीवराजजी राव
(ख) कमलादेवी विधवा जीवराजी
2. रतनलाल पुत्र सतीदानजी राव
3. चंपालाल पुत्र श्री सुखदेवजी राव
निवासीगण नाना तहसील बाली जिला पाली राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :–
1. श्री ओमप्रकाश दवे — अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादीगण अनुपस्थित
3. नायब तहसीलदार, बाली — पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 06-9-2021

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर ग्राम नाना स्थित भूमि खसरा नंबर 2048 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नंबर 2047 रकबा 0.68 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल खसरा नंबर 2052 रकबा 0.52 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 1.73 हैक्टर के 1/3 हिस्से की घोषणा खातेदारी के पश्चात् वादीगण 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या–03 का 1/3 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वादीगण द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि सैटलमेंट से पुर्व के अधिकार अभिलेख जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 में ग्राम नाना स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 680/1273 रकबा 9.13 बीघा व खसरा नंबर 680/1269 रकबा 1.00 बीघा कुल रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा में बतौर खातेदार सतीदान नेना सुखदेव पि0 पुनमा दर्ज था। भूप्रबन्ध के पश्चात् बने नये अधिकार अभिलेखों में मिलान क्षेत्रफल अनुसार बने हाल खसरा नंबर 2048, 2047, 2052 कुल खसरा–3 कुल रकबा 1.73 हैक्टर में जीवराज, रतनलाल पि. सतीदान, चम्पालाल पुत्र सुखदेव कौम राव सा.देह खातेदार दर्ज कर दिया गया एवं वादीगण के पिता नेना पुत्र पुनमा का नाम विलोपित कर दिया गया। वादी संख्या–01 स्व0 नेनजी की जायन्दा पुत्री हैं, तथा वादी संख्या–02 रमेशकुमार नेनजी का गोदपुत्र हैं। अतः वादीगण को स्व0 नेना पुत्र पुनमा के 1/3 हिस्सा की घोषणा खातेदारी दिलाने के साथ 1/3 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 की प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रति, सैटलमेंट पश्चात् की जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 की प्रति पेश की। तथा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह पी.डब्लू0–01 वादी संख्या–02 रमेशकुमार गोदीपुत्र नेनजी, गवाह पी. डब्लू0–02 वादी संख्या–01 झुमीदेवी पुत्री नेनजी राव के बयान कलमबद्ध कराये गये।

वादीगण के वादपत्र में प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2, सम्मन तामील के बावजुद वकालतन/असालतन उपस्थित नही होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2008 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या–03 की ओर से दिनांक 07.01.2013 को अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा जबावदावा पेश किया गया। अपने जबाव में जाहिर किया गया कि नेनजी द्वारा अपना हक हिस्सा सुखदेवजी व सतीदानजी के पक्ष में त्याग दिया था। तथा वादग्रस्त भूमि पर सतीदानजी व सुखदेवजी के वारिशान का ही कब्जा काश्त हैं। रमेश कुमार कभी नेनजी के गोद नहीं गया हैं। उक्त जबाव प्रस्तुती से पुर्व प्रतिवादी संख्या–03 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी पेश किया था।

पेज लगातार...02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं. 22/2018 GCMS NO. 2018/00027 (मूल रावा संख्या : 200/2008)
अनवान झुमीदेवी वगैरा बनाम जीवराज के कामु. हसुख वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

जिसके साथ में अभिलेखीय साक्ष्य फोटो प्रति प्रार्थना पत्र फार्म रमेशकुमार के एडमिशन की, फोटो प्रति पासबुक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा–नाना की बचत खाता संख्या 724, फोटो प्रति निर्वाचक नामावली 2009 ग्राम नाना, फोटो प्रति इलैक्ट्रीक बिल जीवाराम पुत्र सतीदानजी के नाम, फोटो प्रति रसीद संख्या 786 दिनांक 24.07.06 राव पंच नाना, फोटो प्रति शादी की पत्रिका रमेशकुमार की पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या–04 पैरोकार सरकार के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहने से उनकी ओर से जबाव पेश नहीं किया गया। दावे व जबावदावे के आधार पर प्रकरण में वाद बिन्दु कायम कर वादी पक्ष की साक्ष्य ली गई। प्रतिवादी पक्ष को कोस्ट पर गवाह प्रस्तुत के समय अवसर दिये गये, बावजुद साक्ष्य पेश नहीं किये गये तथा दिनांक 24.04.2017 को प्रतिवादी संख्या–03 के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा No Instruction Plead कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या–03 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में No Instruction Plead करने से वकील वादीगण श्री ओमदवे की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकील वादी की बहस पर मनन के पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2018 को पारित आदेश से स्व0 नेना पुत्र पुनमा के ईकलौती संतान पुत्री वादी संख्या–01 झुमीदेवी होने से वादी संख्या–01 को वादग्रस्त भूमि ग्राम नाना के हाल खसरा नंबर 2047 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नंबर 2048 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नंबर 2052 रकबा 0.52 हैक्टर कुल खसरा–03 जुमले रकबा 1.73 हैक्टर 1/3 हिस्सा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत खातेदार घोषित किया गया। इसके साथ ही वादी संख्या–01, 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित होने से वादग्रस्त भूमि में **वादी संख्या–01 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–01, 02 एवं वादी संख्या–02 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या–03 का 1/3 हिस्सा** अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के धारा 53 के तहत विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, बाली को प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में विभाजन करते हुये विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। तथा पत्रावली को फैसल शुमार करते हुये न्यायालय आदेश की पालना कराये जाने के लिये ईजराय पत्रावली कायम की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार, बाली ने वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो के मध्य विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांकः भू0अ0/2021/1426 दिनांक 13.08.2021 से निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित कियेः–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान	बरंग
01	झूमीदेवी पुत्री नेनजी राव सा. देह खातेदार	2047	0.56	बा.अ.	3.92	पीला
02	दलपतसिंह पुत्र नाहरसिंह चौहान हि 1/2 मनोहरसिंह पुत्र नाहरसिंह चौहान हि. 1/2 कौम राजपुत सा.देह खातेदार	2048 2047/1	0.53 0.03	बा.अ. बा.अ.	3.71 0.21	केसरिया
		02	**0.56**	**बा.अ.**	**3.92**	
[illegible]	कमलादेवी पत्नि जीवराज हि. 1/6 रमेशकुमार पुत्र जीवराज हि. 1/6 हंसमुख पुत्र जीवराज हि. 1/6 रतनलाल पुत्र सतीदान हि. 1/2 कौम राव सा. देह खातेदार	2052 2047	0.52 0.04	बा.अ. बा.अ	3.64 0.28	हरा
		02	**0.56**	**बा.अ.**	**3.92**	
04	शामलाती खाता– झूमीदेवी पुत्री नेनजी कौम राव हि. 1/3 दलपतसिंह पुत्र नाहरसिंह चौहान हि. 1/6 मनोहरसिंह पुत्र नाहरसिंह चौहान हि. 1/6 कौम राजपूत कमलादेवी पत्नि जीवराज हि. 1/18 रमेशकुमार पुत्र जीवराज हि. 1/18 हंसमुख पुत्र जीवराज हि. 1/18 रतनलाल पुत्र सतीदान हि. 1/6 कौम राव सा. देह खातेदार	2047	0.05	बा.अ. (रास्ता)	0.35	गुलाबी रास्ता हेतू

तहसीलदार, बाली से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर वकील वादी श्री ओम दवे की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री ओमदवे ने बहस में वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुये तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त कर इसी अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

पेज लगातार---03

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ... जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं. 22/2018 GCMS NO. 2018/00027 (मूल रावा संख्या : 200/2008)
अनवान झुमीदेवी वगैरा बनाम जीवराज के कामु. हसुख वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकील वादी की बहस पर गनन के पश्चात् ग्राम नाना स्थित भूमि खरारा नंबर 2048 रकबा 0.53 हैक्टर, खरारा नंबर 2047 रकबा 0.68 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल खसरा नंबर 2052 रकबा 0.52 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 1.73 हैक्टर कुल लगान 12.11 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 के तहत तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांकः भू0अ0/2021/1426 दिनांक 13.08.2021 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान	बरंग
01	झूमीदेवी पुत्री नेनजी राव सा. देह खातेदार	2047	0.56	बा.अ.	3.92	पीला
02	दलपतसिंह पुत्र नाहरसिंह चौहान हि 1/2 मनोहरसिंह पुत्र नाहरसिंह चौहान हि. 1/2 कौम राजपुत सा.देह खातेदार	2048 2047/1	0.53 0.03	बा.अ. बा.अ.	3.71 0.21	केसरिया
		02	**0.56**	**बा.अ.**	**3.92**	
03	कमलादेवी पत्नि जीवराज हि. 1/6 रमेशकुमार पुत्र जीवराज हि. 1/6 हंसमुख पुत्र जीवराज हि. 1/6 रतनलाल पुत्र सतीदान हि. 1/2 कौम राव सा. देह खातेदार	2052 2047	0.52 0.04	बा.अ. बा.अ	3.64 0.28	हरा
		02	**0.56**	**बा.अ.**	**3.92**	
04	शामलाती खाता– झूमीदेवी पुत्री नेनजी कौम राव हि. 1/3 दलपतसिंह पुत्र नाहरसिंह चौहान हि. 1/6 मनोहरसिंह पुत्र नाहरसिंह चौहान हि. 1/6 कौम राजपूत कमलादेवी पत्नि जीवराज हि. 1/18 रमेशकुमार पुत्र जीवराज हि. 1/18 हंसमुख पुत्र जीवराज हि. 1/18 रतनलाल पुत्र सतीदान हि. 1/6 कौम राव सा. देह खातेदार	2047	0.05	बा.अ. (रास्ता)	0.35	गुलाबी रास्ता हेतू

तहसीलदार,बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अगल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, नाना को लिखा जावे। कुल लगान राशि 12.11 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली,जिला - पाली (राज.)

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner